।। जय भास्कर ।।

पंजीयन नं. : 89/86-87

ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमही तनो सूर्यः प्रचोदयात्

।। जय दिवाकर ।।

शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर

13/456, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
कुलदीप	राजेन्द्र भोजक (योगेन्द्र)	संजय व्यास
	मो. 9001096111	मो. 9928044049

श्रीमान आयुक्त महोदय,
राजस्थान आवासन मंडल-मुख्यालय,
ज्योति नगर, जयपुर।

विषय: सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर को आवासन मंडल की जयपुर स्थित योजना में रियायती मूल्य पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन।

माननीय महोदय,

शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा जयपुर की ओर निवेदन है कि हमारी यह समाजिक संस्था वर्ष 1986 से ही सहकारी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक पंजीकृत संस्था है जिसका पंजीयन स. 89/86-87 है, इस संस्था/समाज के जयपुर में लगभग 500 परिवार निवास करते हैं व पूरे राजस्थान से छात्र/छात्राएं जयपुर में अध्यन करने, परीक्षा देने, कोचिंग आदि हेतु आते हैं।

आपकी अद्यतन जानकारी के लिए लेख कि हमारी संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है, जिनमें शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य जागरूकता, रक्तदान शिविर, स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य कई क्षेत्रों में योगदान दिया जाता है। हमारे सदस्यों के परिवारों के छात्रों के लिए भी हम परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, प्रतिभावान विधार्थियों को प्रोत्साहन व् छात्रवृति भी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके।

इन सभी कार्यो हेतु अभी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग व्यवस्था करनी होती है। इन सभी समाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु हमारी संस्था को अपनी एक स्थायी जगह की आवश्यकता है, ताकि हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। हमारी संस्था ने सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जमीन की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन हैं कि हमारी संस्था को राज. आवासन मंडल की जयपुर स्थित योजना (मानसरोवर/प्रताप नगर) में सामाजिक संस्था हेतु आरक्षित भूमि में से एक भूखंड (लगभग 1000 वर्ग मीटर) का आवंटन रियायती दर पर करने की कृपा करें, जिससे हम अपनी संस्था के कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

कृपया हमारे आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की कृपा करें, हमें आपकी और से साकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है एवं हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे आवेदन को मंजूरी प्रदान करेंगे।

धन्यवाद।

संलग्न:-
1. सदस्यता सूची - परिवार मुखिया
2. तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखा जोखा।

जयपुर, दिनांक : 10-08-2023

CEM/963
11/9/23

सम्पर्क: कुलदीप व्यास
8003411119

भवदीय,

योगेंद्र भोजक,
सचिव,
शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर
पता : 13 /456, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर-20
मोबाइल नंबर: 9001096111
ईमेल:

Scanned by CamScanner

जय भास्कर ।।

पंजीयन नं. : 89/86-87

ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमही तनौ सूर्यः प्रचोदयात्

(31)

।। जय दिवाकर ।।

शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर

13/456, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
कुलदीप	राजेन्द्र भोजक (योगेन्द्र)	संजय व्यास
	मो. 9001096111	मो. 9928044049

कार्यकारिणी (2020-23)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष : (वित्त)
रामकिशोर व्यास
मो. 8949847970

उपाध्यक्ष : (प्रचार प्रसार)
मुरली मनोहर भोजक
मो. 9214334002

उपाध्यक्ष : (संगठन)
सोमकान्त शर्मा
मो. 9929151605

सह सचिव :
अ. पी. शर्मा
9414135359

संगठन सचिव :
राजेन्द्र भोजक
मो. 9829924249

सह संगठन सचिव :
आशीष शर्मा
मो. 9929090210

सास्कृतिक सचिव :
सुनील व्यास
मो. 9352133219

सह सास्कृतिक सचिव :
मोहित शर्मा
मो. 9929785480

युवा प्रभारी :
चन्द्र प्रकाश शर्मा
मो. 9829752234

सह युवा प्रभारी :
विकास व्यास
मो. 9785644615

महिला प्रभारी :
श्रीमती श्यामा शर्मा
मो. 7014782766

सह महिला प्रभारी :
श्रीमती विनीता शर्मा
मो. 9887555248

सह महिला प्रभारी :
श्रीमती कल्पना भोजक
मो. 9351330370

विधि सचिव :
पन्नालाल शर्मा
मो. 9950470703

सदस्य :
अरूण कुमार शर्मा
राजेन्द्र शर्मा (जेतारण)
सुरेन्द्र शर्मा
ललित शर्मा
वीरेन शर्मा
भरत शर्मा
दीपक शर्मा (हरमाडा)
अशोक पांडे
परमानन्द शर्मा
सचिन शर्मा
पवन भोजक
नवुज शर्मा

कार्यालय प्रभारी :
देवेन्द्र कुमार

सेवामे
श्रीमान मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

FM
20/9/23

विषय:- मुसप्र/2023/396 जयपुर स्थित योजनाओं में रियायती दर पर भूमि आवंटन के सन्दर्भ में।

महोदय,
सादर नम्र निवेदन के साथ मुसप्र/2023/396 दिनांक 14/9/23 पत्र में जयपुर स्थित योजनाओं में रियायती दर पर भूमि आवंटन के सन्दर्भ आपके द्वारा चाही गई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। जो निम्न है।

1) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
2) रेजुलेशन "
3) गत तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट "
4) चाही गई भूमि पर बने ओरीजनल वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट "
5) समाज की कार्यकारिणी सूची
6) भूमि आवंटन के लिए लिखा गया प्रस्ताव जिसमे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फोटोकॉपी
7) 5900/- राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर नाम डी.डी. 508401

धन्यवाद

(राजेन्द्र कुमार भोजक)
सचिव

CEM/1009
20/9/23.

वास्ते शाकद्वीपीय (मग) ब्राह्मण, सभा
सचिव

प्रपत्र–अ

32

...ल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	संस्था/संगठन का नाम	शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर
2–	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	राजेन्द्र कुमार भोजक
3–	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	13/456, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक, कार्य, छात्रावास
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) (मण्डल की योजना का नाम)	300 से 500 वर्गमीटर
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	300 से 500 वर्गमीटर
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	नहीं
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii– बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न
	iii– गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi– रू. 5900/– (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 18/09/2023

स्थान : जयपुर

नाम व पद राजेन्द्र कुमार भोजक (सचिव)

वास्ते शाकद्वीपीय (मग) ब्राह्मण, सभा

Bhojak

सचिव

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015

D/DRB/Letter

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

(53)

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा, जयपुर
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	जयपुर शहर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	जयपुर शहर (कॉलोनी)
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	89/86-87 (23-07-1986)
संस्था का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	बच्चों को शिक्षा, छात्रावास सुविधा। सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	उपरोक्त अनुसार
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम,, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	नहीं
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	नहीं
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	नहीं
चही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नहीं
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संलग्न (कार्यकारणी)
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार /अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक कार्य, छात्रावास
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	10% of DLC
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	नहीं

वास्ते शाकद्वीपीय (मग) ब्राह्मण सभा

हस्ताक्षर
सचिव

D/DRB/Letter

(34)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 89/86-87

यह प्रमाणित किया जाता है कि शाक द्वीपीय (मग) ब्राह्मण सभा, जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तेईस माह जुलाई सन् एक हजार नौ सौ छियासी को जयपुर में दिया गया।

ह०
(जी. एस. शर्मा)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर

वास्ते शाकद्वीपीय (मग) ब्राह्मण, सभा

सचिव